न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल,

T.R, No.- 3116/2020

GR.No. 188/2020

08.06.2020 राष्ट्रीय लौक डाउन।

काराधीन अभियुक्त कौशल कुमार चौधरी की ओर से वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को नहीं दी गयी है जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।। आवेदन प्रचालित किया गया।

बवाच पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से कोई भी जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालयों में दाखिल नहीं किया है और ना ही अस्वीकृत किया गया है। गुटबंदी, ग्रामीण राजनिति तथा जमीनी विवाद के कारण आवेदक को इस झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। आवेदक पर लगाया गया अभियोग झूठा तथा बनावटी है। आवेदक के पास से पीड़िता बरामद नहीं हुई है। उभय पक्षों के बीच परिवारिक तथा जमीनी विवाद चल रहा है। पीड़िता का बयान विश्वसनीय नहीं है। धारा 363, 366ए भा0द0वि0 का अभियोग आवेदक पर नहीं बनता है। आवेदक दिनांक 25.03.2020 से काराधीन है। आवेदक न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने जमानत के बिंदु पर विरोध प्रकट किया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में धारा 363, 366ए, भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिय गया है जिसमें 366ए भा0द0वि0 अजमानीय है । आवेदक पर सूचक की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर अपहरण करने का अभियोग है। पीड़िता ने धारा 161 द0प्र0सव के अन्तर्गत बयान में कहा है कि आवेदक अभियुक्त ने ठंडा में कुछ नशीली पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया तथा अपहरण कर लिया।। धारा 366ए भा0द0वि0 विशिष्ट रुप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है। ऐसी स्थिति में अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक काराधीन अभियुक्त कौशल कुमार चौधरी की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी